

जादी है, पठावन) को पैरा करे।  
27/03/25 को पैरा करे।  
वादी

*Arjun*  
सहायक कलेक्टर  
(SDO), बाड़मेर

27.03.25 पत्रावली पैरा हुई। न्यायालय समय में  
अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से  
अलग - अलग समय पर तीन बार आवाज  
दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि  
अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपने वाद  
को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम-  
पैखी' व 'अदम - हाजिरी' में इसी स्तर पर  
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिजल  
दफ्तर हो व नंबर से कम हो

*Arjun*  
सहायक कलेक्टर  
(SDO), बाड़मेर